

## लियन नोट करने के लिए FOR LIEN MARKING

क्रम संब Sr. No. B	तिथि Date	संदर्भ सं फोलियो एवं खाता सं Ref. No. i.e. Folio & A/c No.	स्वीकृत ऋण / लिमिट का विवरण Particulars of Loan/limit sanctioned	अधि॰ के हस्ताक्षर Initials of officer	खाते के समायोजन की तिथि Date of adjustment of account	लियन रद्द करने की तिथि Date of cancellation of lien	अधि॰ के हस्ताक्षर Initials of officer
1	090	5 121	@ 5.	40% 1	03392	6-093	= 1351
2							
3			i.				19

## ब्याज का अन्तरिम भुगतान, यदि कोई है तो INTERIM INTEREST PAYMENT, IF ANY

भुगतान की तिथि Date of	ब्याज के भुग Period fo	ातान की अवधि r which paid	आंद्यक्षर Initials	ब्याज की राशि Amount	टिप्पणी Remarks
Payment	से From	तक To		₹	
					2
			والدا	of of	

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की घारा 21 एवं 35 (अ) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस सावधि जमा रसीद पर लागू निर्देशों, यदि कोई है तो, के अनुसार बैंक द्वारा दी गई व्याज की दर कम या अधिक हो सकती है

The stipulation as to the payment of interest is subject to the condition that the rate of interest agreed to be paid by the Bank will be liable to revision (up or down)in accordance with directives (if any) issued by the Reserve Bank of India, in excercise of the powers conferred on it by Section's 21 & 351 of the Banking Regulations Act, 1949 to such extens as may be applicable to this fixed deposit.

र्ते. बैंक वे पक्ष में समी प्रकार की देयताओं के लिए बैंक का अपने पास रखी गई सभी जमाओं एवं प्रतिभूतियों पर पहला पूर्वग्रहणाधिकार होगा।

The Bank shall have the first Lien on all kinds of deposits and securities in its possession for any kind of liability in favour of or for monies due to the Bank.

2. यदि जमा राशि का नवीकरण नहीं होता है तो, जमा राशि पर ब्याज परिपक्वता तिथि से बन्द हो जाएगा।

In case deposit is not renewed interest on deposit ceases from due date.

3. सावधि जमा का मूल एवं ब्याज प्राप्त किया, कृपया ............महीनों के लिए इसका नवीकरण कर दें

4. जहां पर सावधि जमा रसीद पर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति ग्राहक द्वारा अर्जित ब्याज, समय-समय पर आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से यदि अधिक हो जाए अथवा अधिक हो जाने की संमावना हो, तब ग्राहक से अपेक्षित है कि वह फार्म संख्या 15जी/15एच जमा करवाएं जोकि स्रोत पर कर की कटौती न किये जाने के संबंध में अनिवार्य है अन्यथा बैंक आयकर नियमों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करेगा।

"Where interest on FDR's exceeds or is likely to exceed a specific limit (fixed by I.T. Deptt. from time to time) per depositor during a financial year, the depositor(s) is required to submit the form No. 15G/15H, as applicable invariable invariably for non deduction of tax at source failing which bank will deduct the T.D.S. as per Income Tax Rules".